न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर।

C.N.R. No-UPSP040261512026

राज्य बनाम सचिन

धारा–**115(2), 352 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता**
थाना–**तीतरों**, जनपद–**सहारनपुर।**
मुकदमा अपराध संख्या–**99/2025**

आदेश

30.04.2026

मुकदमा अपराध संख्या–**99/2025**, अन्तर्गत धारा–**115(2), 352 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता** थाना **तीतरों**, जिला **सहारनपुर** के अन्तर्गत अभियुक्त सचिन पुत्र सोपाल की ओर से जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी को रंजिशन उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का उपरोक्त अपराध जमानतीय है। वह दौरान वाद उचित जमानत देने को तैयार हैं। दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

विद्वान सहायक अभियोजन व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त प्रस्तुत मामले में आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त द्वारा 20,000/–रूपये का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय
सहारनपुर।